भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1034

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेजों में रिक्त सीटें

1034. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि तक देश में सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्यापन हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि तक इन कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या कॉलेज/संस्थान-वार कितनी है;

(ग) क्या सभी आवेदकों को इन कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश मिल गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो कॉलेज/संस्थान-वार और पाठ्यक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन कॉलेजों और संस्थानों में रिक्त सीटों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने की योजना है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2025-26 में देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,28,875 स्नातक सीटें और 80291 स्नातकोत्तर सीटें हैं। सरकारी और निजी कॉलेज-वार सीटों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

(घ) से (छ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2021 के आदेशानुसार एमबीबीएस सीटों के लिए यूजी काउंसलिंग 2025 के चार दौर पूरे हो चुके हैं। 2025-26 का शैक्षणिक सत्र 22 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। चार दौर के बाद सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में अनुलग्नक-II के अनुसार कुल 72 एमबीबीएस सीटें खाली रह गईं।

दिनांक 05.12.2025 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक - I

सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में राज्यवार स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्नातक सरकारी सीटें	स्नातक निजी सीटें	स्नातकोत्तर सरकारी सीटें	स्नातकोत्तर निजी सीटें
1.	आंध्र प्रदेश	3415	3800	2140	1679
2.	अंडमान और निकोबार	114	0	13	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	100	0	0	0
4.	असम	1975	0	790	0
5.	बिहार	1645	1900	965	467
6.	चंडीगढ़	150	0	587	0
7.	छत्तीसगढ़	1555	900	565	187
8.	दादरा और नगर हवेली	177	0	44	0
9.	दिल्ली	1296	100	2965	52
10.	गोवा	200	0	156	0
11.	गुजरात	4325	3200	2574	902
12.	हरियाणा	1060	1650	448	528
13.	हिमाचल प्रदेश	820	150	303	93
14.	जम्मू और कश्मीर	1525	200	730	52
15.	झारखंड	855	400	289	0
16.	कर्नाटक	4249	9695	2470	5180
17.	केरल	1855	3549	1189	1003
18.	मध्य प्रदेश	3025	2700	1720	1060
19.	महाराष्ट्र	6075	6749	3836	3083
20.	मणिपुर	375	150	260	0

21.	मेघालय	100	100	37	0
22.	मिजोरम	100	0	10	0
23.	नागालैंड	100	0	0	0
24.	ओडिशा	1925	1100	800	612
25.	पुदुचेरी	423	1450	346	799
26.	पंजाब	999	900	470	420
27.	राजस्थान	4630	2700	2450	1319
28.	सिक्किम	0	150	0	34
29.	तमिलनाडु	5250	7800	2901	2892
30.	तेलंगाना	4390	5150	1669	1855
31.	त्रिपुरा	150	250	95	8
32.	उत्तर प्रदेश	5925	7500	2953	2362
33.	उत्तराखंड	750	700	1656	338
34.	पश्चिम बंगाल	4149	2250	1851	377
35.	**कुल**	**65193**	**63682**	**37282**	**25302**

नोट: 80291 स्नातकोत्तर सीटों में **17,707** डीएनबी, डीआरएनबी, एफएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटें भी शामिल हैं।

दिनांक 05.12.2025 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के भाग (घ) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक - II

स्ट्रे-राउंड के बाद शेष सीट	कुल	सरकारी	डीम्ड
एमबीबीएस	72	26	46
